उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग–3

संख्या–1371(1)/60–3–2015–22(सा0)/15

लखनऊः दिनांक 27 जुलाई, 2015

कार्यालय–आदेश

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली, 2015 के सुसंगत प्राविधान के अन्तर्गत कोष प्रबंधन इकाई के संचालन हेतु शासनादेश संख्या–1371/60–3–15–22(सा0)/15 दिनांक 21.07.2015 के द्वारा वरिष्ठ वित्त सलाहकार का 01 पद इस शर्त के साथ सृजित किया गया है कि उक्त पद वित्त एवं लेखा संवर्ग में बढ़ा हुआ माना जायेगा तथा उसी संवर्ग के अधिकारी से सेवा स्थानान्तरण के माध्यम से भरा जायेगा। वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–बी–1–3127/ दस–2015 दिनांक 22.07.2015 के द्वारा महिला सम्मान कोष के संचालन हेतु सृजित वरिष्ठ वित्त सलाहकार को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुये डी0डी0ओ0 कोड संख्या–4154 आवंटित भी किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत कोष प्रबंधन इकाई के संचालन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–102(2)/60–3–15–13(39)/10टीसी दिनांक 04.02.2015 के क्रम में सृजित वरिष्ठ वित्त सलाहकार के पद पर नियमित तैनाती होने तक श्री बी0पी0 सिंह, वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण निदेशालय को उक्त पद का अतिरिक्त पदभार यथावत् दिया जाता है, इसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

27.7.15

(रेणुका कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या–1371 (2)/60–3–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (सेवायें) अनुभाग–2/वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
7. कोष कार्यालय को कोष की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उपसचिव।

C-2,tandan ji-uo